Recruitment Rules for Class I and II
Personal Copy

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

आवास एवं पर्यावरण विभाग
पर्यावरण (शाखा)

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर, 1977

क्र. 3775-1024-बत्तीस.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल मध्यप्रदेश नगर एवं ग्रामीण नियोजन राजपत्रित (प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी) सेवा में भरती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—(1) ये नियम "मध्यप्रदेश नगर एवं ग्रामीण नियोजन राजपत्रित (प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी) सेवा भरती नियम, 1977 कहलायेंगे."

(2) ये नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में अधिसूचित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषायें.—इन नियमों में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से तात्पर्य शासन से है;

(ख) "आयोग" से तात्पर्य, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से है;

(ग) "समिति" से तात्पर्य अनुसूची चार में यथालिखित "विभागीय पदोन्नति समिति" से है;

(घ) "शासन" से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन से है;

(ङ) "राज्यपाल" से तात्पर्य मध्यप्रदेश के राज्यपाल से है;

(च) "अनुसूची" से तात्पर्य इन नियमों से संलग्न अनुसूची से है;

(छ) "अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों" का वही अर्थ होगा, जो उनके लिये संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (24) और (25) में क्रमशः दिया गया है तथा इससे तात्पर्य ऐसी जातियों और जनजातियों से है, जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस रूप में अधिसूचित की जाएं;

(ज) "सेवा" से तात्पर्य मध्यप्रदेश नगर एवं ग्रामीण नियोजन राजपत्रित (प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी) सेवा से है;

(झ) "राज्य" से तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य से है.

3. विस्तार तथा प्रयुक्ति.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में दिये गये उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम इस सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. सेवा का गठन.—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय अनुसूची एक में उल्लिखित पद मूलतः स्थानापन्न हैसियत में धारण कर रहे हों.

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में भरती किए गए हों ; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भरती किए गए हों.

5. वर्गीकरण, वेतनमान, आदि.—सेवा का वर्गीकरण, उसके लिये वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या इससे संलग्न अनुसूची एक में दिये गये उपबंधों के अनुसार होगी;

परन्तु शासन सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय-समय पर स्थायी या अस्थायी तौर पर वृद्धि या कमी कर सकेगा.

6. भरती का तरीका.—(1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के बाद सेवा में भरती, निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात:—

(क) चयन कर सीधी भरती द्वारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा और साथ ही अनुसूची चार में दर्शाए अनुसार नगर एवं ग्रामीण नियोजन अराजपत्रित सेवा के तृतीय श्रेणी पदों के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा भी;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा जो ऐसी सेवा में ऐसे पद जो इस संबंध में उल्लिखित किए जाएं, मूलतः धारण कर रहे हों.

(2) उपनियम (एक) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भरती किए गए व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय (अनुसूची एक) में यथोलिखित कर्त्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची दो में दर्शाए गए प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, भरती को किसी भी विशिष्ट अवधि के दौरान भरी जाने के लिये अपेक्षित सेवा की किसी भी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भरती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भरती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा आयोग के परामर्श से निर्धारित की जायेगी.

(4) उपनियम (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना आवश्यक हो, तो शासन सामान्य प्रशासन विभाग के अनुमोदन के बाद, सेवा में भरती संबंधी उन तरीकों को छोड़, जिनका उक्त उपनियम में उल्लेख किया गया है, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जो शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये आदेश द्वारा विहित किये जायें.

7. सेवा में नियुक्ति.—इन नियमों के प्रारम्भ होने के बाद सेवा में सभी नियुक्तियां शासन द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में उल्लिखित भरती के किसी एक तरीके से चयन करने के अतिरिक्त अन्य तरीके से नहीं की जायेगी.

8. सीधी भरती की पात्रता की शर्तें.—चयन किए जाने के लिए पात्र होने की दृष्टि से उम्मीदवार को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:—

(एक) आयु.—

(क) चयन के प्रारम्भ होने की तारीख के बाद आनेवाली पहली जनवरी को उसने अनुसूची तीन के खाना (4) में दर्शाई गई आयु पूरी कर ली हो किन्तु अनुसूची तीन के खाना (5) में दर्शाई गई आयु पूरी न की हो;

(ख) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का हो, तो अधिकतम आयु सीमा में अधिक से अधिक 5 वर्ष की छूट दी जाएगी---

(ग) (एक) वर्मा, सीलोन से स्वदेश लौटने वाले तथा पूर्व पाकिस्तान के विस्थापितों के मामलों में भी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तक होने की छूट दी जा सकेगी.

(दो) पूर्व पाकिस्तान के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के स्वदेश लौटने वाले तथा विस्थापित व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की और छूट दी जाएगी. ऐसी रियायत शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेश द्वारा यथा विहित अवधि में ही ग्राह्य होगी.

(घ) उन उम्मीदवारों को भी, जो मध्यप्रदेश शासन कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, निम्नलिखित सीमा तक तथा नीचे उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जायेगी---

(एक) ऐसे उम्मीदवार की आयु, जो स्थायी अथवा अस्थायी शासकीय कर्मचारी हो, 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

(दो) उपर्युक्त रियायत कार्य भारित कर्मचारियों, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों और परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित व्यक्तियों को भी दी जा सकेगी.

(तीन) ऐसे उम्मीदवार को, जो छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की अवधि, भले ही यह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.---शब्द छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छह माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन-पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी की जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो.

(ङ) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.---शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग [illegible] भारत सरकार के अधीन [illegible] छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसकी, किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन-पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई (यूनिट) की सिफारिशों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी की जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक घोषित किया गया हो---

(1) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिसे मस्टरिंग आउट कन्सेशन [illegible] (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त कर दिया गया हो;

(2) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसे द्वारा भरती किया गया हो, और (क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर, (ख) भरती की शर्तें पूरी हो जाने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो;

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कर्मचारी;

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवामुक्त किया गया हो, (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी शामिल हैं;

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक [illegible] करने के बाद सेवामुक्त किया गया हो;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवामुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिये गये हों;

(च) ऐसे उम्मीदवार को, जो 1 जनवरी 1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भरती किया गया हो, उसको प्रारंभिक अधिक अवधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय छात्र सेना से कार्यमुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु सीमा में से उसके द्वारा राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटाने की अनुमति होगी बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह किसी पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो.

टिप्पणी.---उपर्युक्त पैरा 8 (घ) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अन्तर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो, वे यदि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के बाद चयन के पूर्व या पश्चात् सेवा से त्याग-पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे. तथापि यदि आवेदन-पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छटनी की जाये, तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे. अन्य किसी भी स्थिति में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जायेगी.

टिप्पणी.---विभागीय उम्मीदवारों को पद के लिये आवेदन-करने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्वानुमति अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिये.

(दो) शैक्षणिक अर्हतायें.—उसके पास अनुसूची तीन में दर्शाये अनुसार सेवा के लिये विहित शैक्षणिक अर्हतायें होना चाहिये.

(अ) अपवादिक मामलों में आयोग, शासन की सिफारिश पर ऐसे उम्मीदवार को अर्ह मान सकेगा जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में विहित कोई भी अर्हता न हो किन्तु किसी अन्य संस्था द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे मानक से उत्तीर्ण की हो, जो आयोग की राय में उम्मीदवार के संबंध में चयन के लिये विचार किये जाने के योग्य हो.

(ब) ऐसे उम्मीदवारों के संबंध में, जो अन्यथा अर्ह हों, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधियां प्राप्त की हों, जो शासन द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय न हों, आयोग के विवेकानुसार चयन के लिये विचार किया जा सकेगा.

(तीन) फीस.—उसे आयोग द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा.

9. अनर्हता.—उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी के लिये सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास आयोग द्वारा उसको चयन के लिये अनर्हकारी माना जा सकेगा.

10. उम्मीदवारों की पात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा.—चयन के लिए किसी उम्मीदवार की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा.

11. चयन द्वारा सीधी भरती.(1) सेवा में भरती के लिए चयन ऐसी अन्तरावधियों से किया जाएगा जिन्हें शासन समय-समय पर आयोग से परामर्श कर निश्चित करे.

(2) सेवा के लिए उम्मीदवारों का चयन, आयोग द्वारा उनकी प्रत्यक्ष भेंट के बाद ही किया जाएगा.

(3) सीधी भरती से भरे जाने के लिए उपलब्ध रिक्त स्थानों को 15 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत स्थान उन उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे, जो क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हों.—

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्त स्थानों को भरते समय अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति के सम्बन्ध में ऐसे क्रम से विचार किया जाएगा, जिसमें उनके नाम नियम 12 में विनिर्दिष्ट सूची में आते हों, चाहे अन्य उम्मीदवारों की तुलना में उनकी सापेक्षिक स्थिति कुछ भी क्यों न हो.

(5) प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किए गए अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के उप नियम (3) के अधीन यथा स्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(6) यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार उनके लिए आरक्षित रखे गए सभी रिक्त स्थानों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो ऐसे रिक्त स्थान केवल इन्हीं उम्मीदवारों के लिए पुनः विज्ञापित किए जाएंगे. यदि पुनर्विज्ञापन के बावजूद भी कोई भी रिक्त स्थान भरे जाने के लिए रिक्त रह जाए वे रिक्त स्थानें अन्य उम्मीदवारों में से भर लिए जाएंगे और अगले चयन के लिए उतने ही अतिरिक्त रिक्त स्थान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे किन्तु शर्त यह होगी कि आगे ले जाए गए रिक्त स्थानों सहित आरक्षित कुल रिक्त स्थान किसी भी समय कुल रिक्त स्थानों के 45 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे.

12. आयोग द्वारा सिफारिश किये गये उम्मीदवारों की सूची.—(1) आयोग, ऐसे उम्मीदवारों के, जिन्हें वह उपर्युक्त समझे, उनकी योग्यता के क्रम से अधिमान क्रम में रखे गये नाम और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उन उम्मीदवारों के नाम तथा और, जो यद्यपि उक्त मानकों के अनुसार अर्ह नहीं किन्तु जिन्हें आयोग ने प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया, नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगा.

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबन्धों के अध्यधीन उपलब्ध रिक्त स्थानों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के बारे में उसी क्रम से विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आते हों.

(3) जब तक शासन का, उसके द्वारा आवश्य समझी जाने वाली जांच पड़ताल से समाधान न हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है, तब तक केवल सूची में उम्मीदवार का नाम शामिल होने से ही उसे नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता.

13. इन नियमों के लागू होने की तारीख को या इसके पश्चात् सेवा में नियुक्त व्यक्ति यदि अपेक्षा की जाए, तो प्रशिक्षण, यदि कोई हो, की अवधि सहित कम से कम चार वर्ष की अवधि के लिए किन्हीं भी प्रतिरक्षा सेवा में या भारत की प्रतिरक्षा से सम्बद्ध पद पर सेवा करने का भागी होगा. परन्तु ऐसे व्यक्ति के लिए, —

(क) नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष बीत जाने के पश्चात् उपयुक्त अनुसार सेवा करना आवश्यक नहीं होगा.

(ख) साधारणतः चालीस वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् उपयुक्त अनुसार सेवा करना आवश्यक नहीं होगा.

14. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.—(1) पात्र उम्मीदवारों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें अनुसूची चार में उल्लिखित सदस्य होंगे.

(2) समिति की बैठक ऐसी अन्तरावधियों में होगी, जो साधारणतौर पर एक वर्ष से अधिक न हो.

15. पदोन्नति के लिए पात्रता संबंधी शर्तें—(1) मध्यप्रदेश नगर एवं ग्रामीण नियोजन द्वितीय श्रेणी सेवा में पदोन्नति.—उप नियम (4) के उपबन्धों के अध्यधीन, समिति ऐसे तृतीय श्रेणी के व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष, जिसमें समिति की बैठक हो के जनवरी की पहली तारीख को उस पद पर (स्थानापन्न या मूलतः) सेवा पूरी की हो या जो ऐसी शैक्षणिक अर्हता रखते हों जो अनुसूची चार के खाना (4) तथा (5) में क्रमशः उल्लिखित हों या किसी ऐसे अन्य पद या पदों पर ऐसी सेवा पूरी की हो, जो शासन द्वारा उसके समकक्ष घोषित किए गए हों तथा जो उपनियम (4) के अनुसार विचार के क्षेत्रान्तर्गत आते हों.

(2) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्रामीण नियोजन प्रथम श्रेणी सेवा में पदोन्नति.—उप नियम (4) के उपबन्धों के अध्यधीन, समिति ऐसे द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष, जिसमें समिति की बैठक हो को जनवरी की पहली तारीख को उस पद पर (स्थानापन्न या मूलतः) ऐसी सेवा पूरी की हो या जो ऐसी शैक्षणिक अर्हता रखते हों, जो अनुसूची चार के खाना (4) तथा (5) में क्रमशः उल्लिखित हों या किसी ऐसे अन्य पद या पदों पर ऐसी सेवा पूरी की हों, जो शासन द्वारा उसके समकक्ष घोषित किए गए हों तथा जो उप नियम (4) के अनुसार विचार के क्षेत्रान्तर्गत आते हों.

(3) उप नियम (4) के उपबन्धों के अध्यधीन, समिति ऐसे प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष, जिसमें समिति की बैठक हो, के जनवरी की पहली तारीख को, उस पद पर (स्थानापन्न या मूलतः) ऐसी सेवा पूरी की हो या जो ऐसी शैक्षणिक अर्हता रखते हों, जो अनुसूची चार के खाना (4) तथा (5) में उल्लिखित हों, या किसी एस अन्य पद या पदों पर एसी सेवा पूरी

की हों, जो शासन द्वारा उनको समकक्ष घोषित किये गये हों तथा जो उप नियम (4) के अनुसार विचार के क्षेत्रान्तर्गत आते हों.

(4) चयन का क्षेत्र साधारणतः चयन सूची में सम्मिलित किये जानेवाले अधिकारियों की संख्या के पांच गुने तक सीमित होगा, परन्तु यदि इस प्रकार निर्धारित क्षेत्र में उपयुक्त अधिकारी आवश्यक संख्या में उपलब्ध न हों तो, ऐसा क्षेत्र उस सीमा तक बढ़ाया जा सकेगा, जो समिति द्वारा लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुए आवश्यक समझा जाए.

16. उपर्युक्त अधिकारियों की सूची तैयार करना.—(1) समिति ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 15 में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा जिन्हें समिति सेवा में पदोन्नति के उपयुक्त समझती हो. सूची, चयन सूची तैयार करने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के दौरान सेवा निवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण पूर्वानुमानित रिक्त स्थानों को भरने के लिए पर्याप्त होगी. उपर्युक्त अवधि के दौरान होने वाले अनपेक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिए एक आरक्षित सूची भी तैयार की जाएगी जिसमें उक्त (चयन) सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के 25 प्रतिशत व्यक्ति सम्मिलित होंगे.

(2) ऐसी सूची में सम्मिलित करने के लिए किया जाने वाला चयन योग्यता तथा वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा.

(3) प्रत्येक चयन सूची तैयार करते समय सूची में सम्मिलित अधिकारियों के नाम उस सेवा में वरिष्ठता क्रम से रखे जाएंगे (जैसा कि अनुसूची चार के खाने 3 में दर्शाया गया है) परन्तु किसी ऐसे कनिष्ठ अधिकारी को, जो समिति की राय में असाधारण रूप से योग्य तथा उपयुक्त हो, उससे वरिष्ठ अधिकारियों की तुलना में सूची में उच्चतर स्थान दिया जा सकेगा.

स्पष्टीकरण.—ऐसे व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में शामिल हो, किन्तु जिसे सूची की वैधता के दौरान पदोन्नति न किया गया हो, उसके पूर्ववर्ती चयन के तथ्य मात्र से उन व्यक्तियों से वरिष्ठ होने का दावा नहीं होगा, जिनके संबंध में पश्चातवर्ती चयन में विचार किया गया हो.

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रति वर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जायेगा.

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान मध्यप्रदेश नगर एवं ग्रामीण नियोजन अराजपत्रित सेवा या मध्यप्रदेश नगर एवं ग्रामीण नियोजन राजपत्रित (प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी) सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण प्रस्तावित किया जाये तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारण लेखबद्ध करेगी.

17. आयोग से परामर्श.—नियम 16 के अनुसार तैयार की गई सूची शासन द्वारा निम्नलिखित कागजात के साथ आयोग को भेजी जायेगी :—

(एक) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख;

(दो) सेवा में ऐसे सभी सदस्यों के अभिलेख, जिनका सूची में की गई सिफारिशों के अनुसार अधिक्रमित किया जाना प्रस्तावित हो;

(तीन) नियम 16 (5) के अधीन सम्मिलित किसी भी सदस्य के प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में समिति द्वारा लेखबद्ध किये गये कारण;

(चार) समिति की सिफारिश पर शासन के विचार.

18. चयन सूची.—आयोग शासन से प्राप्त अन्य ... के साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा ... यदि उसमें वह कोई परिवर्तन करना आवश्यक न समझे तो उस ... को अनुमोदित करेगा.

(2) यदि आयोग शासन से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन आवश्यक समझे तो आयोग प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना को ... देगा और शासन के मत, यदि कोई हो, पर विचार करने के ... ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्याय ... तथा उपयुक्त हो सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेग...

(3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से यथा अनुमोदित सूची मध... नगर एवं ग्रामीण नियोजन (अराजपत्रित सेवा और या मध... नगर एवं ग्रामीण नियोजन राजपत्रित (प्रथम तथा द्वितीय ... सेवा (अनुसूची चार में दर्शाये अनुसार) के सदस्यों की पदोन्न... चयन सूची होगी.

(4) चयन सूची सामान्यतया तब तक प्रवृत्त रहेगी जब त... नियम 16 के उप नियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलो... पुनरीक्षण न किया जाय किन्तु उसकी वैधता सूची तैयार क... तारीख से 18 माह की कुल अवधि समाप्त हो जाने के बाद नहीं ... जायेगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से ... के निर्वाह अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में ... अनुरोध पर सूची का विशेष पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और ... यदि वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा स...

19. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.—(1) चयन-सू... सम्मिलित अधिकारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति उसी ... की जायेगी, जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची ...

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि रिक्त... संभवतः तीन माह से अधिक अवधि के लिये नहीं होगा, तो प्रशा... आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसक... चयन सूची में न हो या चयन सूची के क्रम में जिसका अगला नाम ... सेवा में नियुक्ति किया जा सकेगा.

(2) साधारणतया उस व्यक्ति की, जिसका नाम चयन सू... सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करन... तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम श... किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की अव... उसके कार्य में ऐसी खराबी उत्पन्न न हो जाये, जो शासन की ... सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो.

20. परिवीक्षा :—सेवा में सीधे भरती किये गये प्रत्येक ... को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा...

21. निर्वचन.—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध ... प्रश्न उठे तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर ... का निर्णय अन्तिम होगा.

22. छूट.—इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ ... लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले के संबंध में, जिस... नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति से कार्यवाही कर... शक्ति को सीमित या कम करती है, जो उसे उचित और न्यायप्रती...

परन्तु ऐसे मामले पर किसी ऐसी रीति से कार्यवाही नहीं की जायेगी जो इन नियमों में उपबन्धित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो.

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्यवाही इन नियमों के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी.

23. निरसन और व्यावृत्ति.—इन नियमों के सभी तत्स्थानी नियम, जो इनके प्रारंभ होने के ठीक पहले प्रवृत्त हों, इसके द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में निरसित किये जाते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एन. बुच, सचिव.

अनुसूची-एक

(नियम 5 देखिये)

क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
एक—कर्त्तव्य पद:				
1	संचालक	1	मध्यप्रदेश नगर एवं ग्रामीण नियोजन राजपत्रित (प्रथम श्रेणी) सेवा	(एक) संवर्ग वेतन (यदि पद भारतीय प्रशासनिक संवर्ग के अधिकारी द्वारा धारण किया जाय). (दो) 1500—75—1800—100—2000 रु. घन 250 रु. विशेष वेतन (यदि पद तकनीकी अधिकारी द्वारा धारण किया जाय.
2	अपर संचालक	1	तदैव	रु. 1500—75—1800—100—2000.
3	संयुक्त संचालक	7	तदैव	रु. 1100—50—1500.
4	संयुक्त संचालक, (प्रोजक्ट) ..	1	तदैव	रु. 1100—50—1500.
5	उप संचालक (प्लानिंग) ..	5	तदैव	रु. 680—40—800—50—1000—द.रो.50—1150.
6	उप संचालक (सर्वे) ..	1	तदैव	रु. 680—40—800—50—1000—द.रो.—50—1150.
7	उप संचालक (रिसर्च) ..	2	तदैव	रु. 680—40—800—50—1000—द.रो. 50—1150.
8	उप संचालक (प्रोजेक्ट) ..	1	तदैव	रु. 680—40—800—50—1000—द.रो.—50—1150.
9	सहायक संचालक (प्लानिंग) ..	16	द्वितीय श्रेणी सेवा	रु. 425—25—500—30—680—द.रो.—40—800—50—900.
10	सहायक संचालक (सर्वे) ..	4	तदैव	रु. 425—25—500—30—680—द.रो.—40—800—50—900.
11	सहायक संचालक (रिसर्च) ..	4	तदैव	रु. 425—25—500—30—680—द.रो.—40—800—50—900.
12	सहायक संचालक (प्रोजेक्ट) ..	4	तदैव	रु. 425—25—500—30—680—द.रो.—40—800—50—900.
13	सहायक संचालक (स्थापना) ..	1	तदैव	रु. 425—25—500—30—680—द.रो.—40—800—50—900.
दो.—अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित:				
14	संयुक्त संचालक (प्रशासन) ..	1	प्रथम श्रेणी सेवा	संवर्ग वेतन घन 150 रु. विशेष वेतन
15	उप संभागीय अधिकारी (डिप्टी कलेक्टर)	1	द्वितीय श्रेणी सेवा	रु. 425—25—500—30—680—द.रो.—40—800—50—1050—100—रु. विशषवेतन
16	सहायक संचालक (हार्टीकल्चर) ..	1	तदैव	रु. 425—25—500—30—680—द.रो.—40—800—50—900.

अवर सचिव.
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग.

अनुसूची —दो
(नियम 6 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			अभ्युक्ति
				सीधी भरती द्वारा नियम 6(क) देखिये	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियम 6(ख) देखिये	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा नियम 6(ग) देखिये	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
आवास पर्यावरण विभाग	मध्यप्रदेश नगर एवं ग्रामीण नियोजन राजपत्रित (प्रथम श्रेणी) सेवा	(1) संचालक ..	1	..	..	..	..
		(2) अपर संचालक ..	1	..	100 प्रतिशत	..	..
		(3) संयुक्त संचालक .	7	..	100 ,,	..	..
		(4) संयुक्त संचालक (प्रोजेक्ट)	1	..	100 ,,	..	..
		(5) उप संचालक (प्लानिंग)	5	..	100 ,,	..	..
		(6) उप संचालक (सर्वे)	1	..	100 ,,	..	..
		(7) उप संचालक (रिसर्च)	2	..	100 ,,	..	..
		(8) उप संचालक (प्रोजेक्ट)	1	..		..	..
	द्वितीय श्रेणी सेवा	(9) सहायक संचालक (प्लानिंग)	16	50 प्रतिशत	50 ,,	..	..
		(10) सहायक संचालक (सर्वे)	4	50 ,,	50 ,,		
		(11) सहायक संचालक (रिसर्च)	4	50 ,,	50 ,,	..	..
		(12) सहायक संचालक (प्रोजेक्ट)	4	50 ,,	.. 50 ,,	..	..
		(13) सहायक संचालक (स्थापना)	1	..	100 ,,	..	..
	प्रथम श्रेणी सेवा	(14) संयुक्त संचालक (प्रशासन)	1	..	100 ,,	प्रतिनियुक्ति द्वारा	
	द्वितीय श्रेणी सेवा	(15) उप संभागीय अधिकारी	1	..	..	प्रतिनियुक्ति द्वारा	
		(16) सहायक संचालक (हार्टीकल्चर)	1	..	..	प्रतिनियुक्ति द्वारा	

अनुसूची तीन

(नियम 8 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	सेवा में पदों के नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आवास एवं पर्यावरण विभाग	मध्यप्रदेश नगर एवं ग्रामीण नियोजन राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी) सेवा	(1) सहायक संचालक (प्लानिंग)	21 वर्ष	28 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से नगर निवेश/क्षेत्रीय निवेश, यातायात एवं परिवहन भू-दृश्य लैंड स्केप) वास्तुकला नगर रूपांकन एवं गृह निर्माण में उपाधि या उसके समकक्ष पत्रोपाधि. या संस्था की सह-सदस्यता के लिये नगर निवेशक (भारत) संस्था द्वारा संचालित नगर निवेश परीक्षा.
		(2) सहायक संचालक (सर्वे)	21 वर्ष	28 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि या पत्रोपाधि. या सर्वेक्षक संस्था (भारत) द्वारा संचालित अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण.
		(3) सहायक संचालक (रिसर्च)	21 वर्ष	28 वर्ष	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थ शास्त्र/भूगोल/सांख्यिकी/गणित/वाणिज्य/समाज विज्ञान में द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि. उन लोगों को अधिमान दिया जाएगा जिनके पास सांख्यिकीय या/और नगर निवेश कार्य में कम से कम दो वर्षों का अनुभव हो.
		(4) सहायक संचालक (प्रोजेक्ट)	21 वर्ष	28 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि या पत्रोपाधि. या इंजीनियरिंग संस्था (भारत) की सह-सदस्यता का "अ" तथा "आ" अनुभाग.

अनुसूची–चार
(नियम 14 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	उस पद का नाम जिसमें पदोन्नति की जानी हो	विभागीय पदोन्नति के लिये अपेक्षित अनुभव तथा अर्हता		उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी हो	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
			अनुभव	अर्हता		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आवास एवं पर्यावरण विभाग	मध्यप्रदेश नगर एवं ग्रामीण नियोजन (राजपत्रित प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी) सेवा	प्रथम श्रेणी— (1) संयुक्त संचालक (2) संयुक्त संचालक (प्रोजेक्ट)	संयुक्त संचालक के रूप में 7 वर्षों की लगातार सेवा	नगर निवेश/क्षेत्रीय निवेश/ यातायात एवं परिवहन/ भू-दृश्य/ वास्तुकला/नगर रूपांकन एवं गृह निर्माण में स्नातकोत्तर उपाधि या स्नातकोत्तर पत्रोपाधि या नगर निवेशक संस्था (भारत) की अधि-सदस्यता.	प्रथम श्रेणी अपर संचालक	(1) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति– अध्यक्ष (2) सचिव, विशेष सचिव मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग– सदस्य (3) आयुक्त/ संचालक/ अपर संचालक, नगर एवं ग्रामीण नियोजन– सदस्य
		(3) उप संचालक (प्लानिंग)	उप संचालक के रूप में 5 वर्षों की लगातार सेवा	नगर निवेश/ क्षेत्रीय निवेश/ यातायात एवं परिवहन, (लैण्ड स्केप) वास्तुकला/ नगर रूपांकन एवं गृह निर्माण में उपाधि या पत्रोपाधि या नगर निवेशक संस्था (भारत) की अधि-सदस्यता	संयुक्त संचालक (संयुक्त संचालक (प्रोजेक्ट) सहित)	
		(4) उप संचालक (सर्वे)	तदैव	सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि या उसके समकक्ष पत्रोपाधि या सर्वेक्षक संस्था (भारत) द्वारा संचालित अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण और नगर निवेश/ क्षेत्रीय निवेश/ यातायात एवं परिवहन/ भू-दृश्य (लैण्ड स्केप), वास्तुकला/ नगर रूपांकन एवं गृह निर्माण में उपाधि या पत्रोपाधि.	संयुक्त संचालक (संयुक्त संचालक (प्रोजेक्ट) सहित)	
		(5) उप संचालक (रिसर्च)	उप संचालक के रूप में 5 वर्षों की लगातार सेवा	अर्थशास्त्र/भूगोल/सांख्यिकी/ गणित/वाणिज्य या समाज विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि एवं नगर निवेश/ क्षेत्रीय निवेश/ यातायात एवं परिवहन/ भू-दृश्य, (लैण्डस्केप)/वास्तुकला/ नगर रूपांकन एवं गृह निर्माण में उपाधि या पत्रोपाधि.	संयुक्त संचालक (संयुक्त संचालक (प्रोजेक्ट) सहित)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	(6) उप संचालक (प्रोजेक्ट)	तदैव	सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि या पत्रोपाधि या इंजीनियरिंग संस्था (भारत) की सह-सदस्यता का अनुभाग "अ" एवं आ" एवं नगरनिवेश, क्षेत्रीय निवेश, यातायात एवं परिवहन भू-दृश्य (लैण्डस्केप), वास्तुकला, नगर रूपांकन एवं गृह निर्माण में उपाधि या पत्रोपाधि.	संयुक्त संचालक (संयुक्त संचालक, प्रोजेक्ट सहित)	
	द्वितीय श्रेणी—					प्रथम श्रेणी
	(7) सहायक संचालक (प्लानिंग)	सहायक संचालक के रूप में 5 वर्षों की लगातार सेवा	कई नहीं			उप संचालक (प्लानिंग)
	(8) सहायक संचालक (सर्वे)	तदैव	तदैव			उप संचालक (सर्वे)
	(9) सहायक संचालक (रिसर्च)	तदैव	तदैव			उप संचालक (रिसर्च)
	(10) सहायक संचालक (प्रोजेक्ट)	तदैव	तदैव			उप संचालक (प्रोजेक्ट)
	तृतीय श्रेणी अराजपत्रित—					द्वितीय श्रेणी
	(1) वरिष्ठ योजना सहायक	वरिष्ठ योजना सहायक के रूप में 5 वर्षों की सेवा या ऐसा न होने पर कुल 6 वर्षों की सेवा	तदैव			सहायक संचालक (प्लानिंग)
	तृतीय श्रेणी अराजपत्रित—					द्वितीय श्रेणी
	(12) वरिष्ठ इंजीनियरिंग सहायक	वरिष्ठ इंजीनियरिंग सहायक (वरिष्ठ योजना सहायक) के रूप में 5 वर्षों की सेवा या ऐसा न होने पर कुल 6 वर्षों की सेवा	कोई नहीं			सहायक संचालक (प्रोजेक्ट) सहायक संचालक (सर्वे)
	(13) वरिष्ठ रिसर्च सहायक	वरिष्ठ रिसर्च सहायक (वरिष्ठ योजना सहायक) के रूप में 5 वर्षों की सेवा या ऐसा न होने पर कुल 6 वर्षों की सेवा.	कोई नहीं			सहायक संचालक (रिसर्च)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(14)	अधीक्षक	अधीक्षक के रूप में 4 वर्षों की सेवा या ऐसा न होने पर कुल 10 वर्षों की सेवा.		लेखा परीक्षा उत्तीर्ण		सहायक संचालक (स्थापना)

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 1977.

क्र. 3766-बत्तीस-17.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 3775-1024-बत्तीस-17, दिनांक 6 अक्टूबर 1977 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 6th October 1977.

No. 3775-1024-XXXII-77.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following rules relating to the recruitment to the Madhya Pradesh Town and Country Planning Gazetted (Class I and Class II) service, namely :—

1. *Short title and commencement*:—(i) These rules may be called the Madhya Pradesh Town and Country Planning Gazetted (Class I and Class II) service Recruitment Rules, 1977.

(ii) These rules shall come into force with effect from the date of their publication in "Madhya Pradesh Gazette".

2. *Definition*.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Government ;

(b) "Commission" means the Madhya Pradesh Public Service Commission :

(c) "Committee" means the "Departmental Promotion Committee, as metioneed in schedule IV ;

(d) "Government" means the Government of Madhya Pradesh ;

(e) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh ;

(f) "Schedule" means a schedule appended to these Rules ;

(g) "Scheduled Castes and Scheduled Tribes" shall have the same meanings as are assigned to them by clauses (24) and (25) respecively of Article 366 of the Constitution and means such castes and tribes as are notified as such by the State Government from time to time ;

(h) "Service" means the Madhya Pradesh Town and Country Planning Gazetted (Class I and Class II) service ;

(i) "State" means the State of Madhya Pradesh.

3. *Scope and application:*—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General conditions of service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. *Constitution of the service.*—The service shall consist of the following persons, namely :—

(1) Persons, who at the time of commencment of these rules, are holding substantively or in an officiating capitity the posts specified in schedule I.

(2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules, and

(3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. *Classification, Scale of pay etc.*—The classification of the service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in schedule I hereto annexed :

Provided that the Government may, from time to time add to or reduce the number of posts included in the service either in a permenent or temporary basis.

6. *Method of Recruitment.*—(1) Recruitment to the services, after the commencement of these rules, shall be by the following methods, *viz*:—

(a) by direct recruitment by selection ;

(b) by promotion of members of service and also from Class III posts of the Town and Country Planning Non-gazetted service as shown in schedule IV.

(c) by transfer of persons, who hold in a substantive capacity, such posts, in such service as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (I) shall not, at any time exceed the percentage shown in schedule II of the number of duty posts fee specified in schedule I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of fileing any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (i) if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, the Government may, after the approval of the General Administration Department, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

7. *Appointment to the service.*—All appointments to the service after the commencement of these Rules shall be made by the Government and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. *Conditions of eligibility of direct recruits.*—In order to be eligible to be selected, a candidate must satisfy the following conditions *viz* :—

(i) Age :—

(a) He must have attained the age given in Col. (4) of schedule III and not attained the age shown in column (5) of schedule III on the first day of January, next following the date of commencement of the selection ;

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of five years, if a candidate belongs to a scheduled caste or a scheduled tribe.

(c) (i) The upper age limit is also relaxable up to 45 years for repartriates from Burma, Ceylon and displaced persons from East Pakistan.

(ii) for scheduled caste and scheduled tribes repartriates and displaced persons from East Pakistan, the upper age limit shall be further relaxed up to five years. This concession shall be admissible only during the period as prescribed by Government from time to time by an order issued in this behalf.

(d) The upper age limit shall be relaxable in respect of candidates who are/have been employees of Madya Pradesh Government to the extent and subject to conditions specified below :—

(i) A candidate who is a permanent or temporary Government servant, should not be more than 38 years of age.

(ii) The above cencession shall also be admissible to work-charged staff and contingency paid staff and person employed in project implementing committee.

(iii) A candidate who is a retrenched Government servant will be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximumu limit of 7 years every if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age by more than three years.

Explanation—

The term "retrenched Government servant" denotes a person, who was in a temporary Government service of this State or of any of the constitutent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation—

The term "Ex-servicemen" denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less them six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommandation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service:—

(1) Ex-serviceman released under mustering out concessions ;

(2) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on (a) Completion of short term engagement (b) fulfilling the conditions of enrollment.

(3) Ex-personnel of Madras Civil Unit ;

(4) Officer (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service Regular Commissioned Officers).

(5) Officers discharged after working for more than six months continously against leave vacancies.

(6) Ex-serviceman invalided out of service.

(7) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers.

(8) Ex-servicemen who are medically board out on account gun-shot, wounds etc.,

(f) A candidate who was recruited from 1st January, 1963 onwards, as whole time cadet Instructor in the National Cadet Corps shall on release from the National Cadet Corps on the expiry of his limited extended tenure will be allowed to deduct from his actual age the period of service rendered by him in the National Cadet Corps, provided that the resultant age does not exceed the prescribed upper age limit of a particular post by more than 3 years.

N. B.—Candidates who are admitted to the selection under the age concessions mentioned in para 8(d) (i) and (ii) above will not be elligible for appointment if after submitting the application they resign from service either before or after the selection. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the appli-

cations. In no other case, will these age limit be relaxed.

N.B.:—Departmental candidates must obtain previous permission of the appointing authority to apply for the post.

(ii) Educational qualifications.—He must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in schedule III provided that.—

(a) In exceptional cases the commission may, on the recommendation of the Government, treat as qualified a candidate, who through not possessing any of the qualifications prescribed in this clause, has passed exeminations conducted by other institutions by a standard which, in the opinion of the commission, justifies the consideration of the candidate for selection, and

(b) Candidates who are otherwise qualified by having taken degrees from foreign Universities being Universities not recognised by Government may also be considered for the selection at the discreation of the commission.

(iii) *Fees*.—He must pay the fees prescribed by the commission.

9. *Disqualification*.—Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the commission to disqualify him for selection.

10. *Commission's Decision about the eligibility of candidates final*:—The decision of the commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final.

11. *Direct Recruitment by selection*.—(1) Selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may, in consultation with the commission from time to time, determine.

(2) The selection of candidates for the service shall be made by the commission after interviewing them.

(3) 15 percent and 18 percent of the available vacancies for direct recruitment shall be reserved for candidates who are members of the scheduled castes and scheduled tribes respectively.

(4) In filling the vacancies so reserved candidates who are members of the scheduled castes and schedule tribes shall be considered for appointment in order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the scheduled castes or the scheduled tribes declared by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the scheduled castes or the scheduled tribes as the case may be under sub-rule (3) of this rule.

(6) If a sufficient number of candidates belonging to the scheduled castes and the scheduled tribes are not available for filling all the vacancies reserved for them the remaining vacancies shall be re-advertised for these candidates exclusively. If even after re-advertisement, any vacancies still remain to be filled, they may be filled from among other candidates and an equivalent number of additional vacancies shall be reserved for candidates belonging to the scheduled castes and the schedule tribes during the subsequent selections subject to the condition that the total number of reserved vacancies including the carried forward vacancies shall not exceed 45% of the total vacancies at any time.

12. *List of candidates recommended by the commission*:—(1) The commission shall forward to the appointing authority the name and other details of candidates whom they consider most suitable duly arranged in order of preference and of candidates belonging to the schedule castes and scheduled tribes, who though not qualified by that standard, are declared by the commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration.

(2) Subject to the provision of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Services (General conditions of service) Rules, 1961, Candidates will be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that the candidates is suitable in all respect for appointmen to the service.

13. Any person appointed to the service on or after these rules have come into force, shall, if so required, be liable to serve in any defence services or post connected with the Defence of India, for a period of not less than four years including the period of training if any, provided that such persons:—

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment.

(b) shall not ordinarily be required to serve aforesaid after attaining the age of forty years.

14. *Appointment by promotion:*—(1) There shall be constituted committee consisting of the members mentioned in schedule IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates.

(2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

15. *Conditions of eligibility for promotion*:—(1) Promotion to Madhya Pradesh Town and Country planning Class II service.. Subject to the provisions of sub-rule (4), the committee shall consider the cases of such class III persons, who on the Ist day of January of that year in which committee meets had completed such service (whether officiating or substantive) in the post and have the educational qualifications as specified in column (4) and (5) respectively of schedule IV or any other post or posts declared equivalent thereto by the Government, and are within the zone of consideration, as per sub-rule (4).

(2) *Promotion to M. P. Town and Country Planning Class I service*:—Subject to the provisions of sub-rule (4), the committee shall consider the cases of such class II officers, who on the Ist day of January of that year in which committee meets had completed such service (whether officiating or substantive) in the post and have the educational qualifications as specified in column (4) and (5) respectively of schedule IV or any other post or posts declared equivalent thereto by the Government and are within the zone of consideration as per sub-rule (4).

3. Subject to the provisions of sub-rule (4), the committee shall consider the cases of such class I officers for promotion to class I post, who on the Ist day of January of that year in which committee meets had completed such service (whether officiating or substantive) in the post and have the educational qualification as specified in column (4) and (5) respectively of schedule IV or any other post or posts declared equivalent thereto by the Government and are within the zone of consideration as per sub-rule (4).

4. The field of selction shall ordinarily be limited to five times the number of officers to be included in the select list, provided that if the required number of suitable officers are not available in the field so determined, the field may be enlarged to the extent consider necessary by the committee by mentioning the reasons in writing.

16. *Preparation of list of suitable officers*.—(1) The committee shall prepare a list of such persons as satisfy the condisions preseribed in rule 15 above and are held by the committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of 25 per cent of the number of persons included in the said (select) list shall also be prepare to meet the unforeseen vacancies occuring during the course of the aforesaid period.

(2) The selection for inclusion in such list shall be on merit-*cum*-seniority basis.

(3) The names of the officers included in the list shall be arranged in order of seniority in the (as in column 3 schedule IV) service, at the time of preparation of each select list, provided that any junior officer, who, in the opinion of the committee, is of an exceptional merit and suitability, may be assigned in the list a higher place than that of officers senior to him.

Explanation:—A person, whose name is included in a select list, but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede any member of the Madhya Pradesh Town and Country Planning Non-Gazetted service or Madhya Pradesh Town and Country Planning Gazetted (Class I and Class II) service, the committee shall record its reasons for the proposed supersession.

17. *Consultation with the commission:*—The list prepared in accordance with rule 16 shall than be forwarded to the commission by the Government alongwith:—

(i) The records of all persons included in the list ;

(ii) The records of all members of service who are, proposed to be superseded by the recommendation made in the list ;

(iii) The reasons as recorded by the committee for the proposed supersession of any member included under rule 16 (5) ;

(iv) The observations of the Government on the recommendation of the committee.

18. *Select list:*—(1) The commission shall consider the list prepared by the committee alongwith the other documents received from the Government and unless it considers any change necessary to make, approve the list.

(2) If the commission considers it necessary to make any change in the list received from the Government, the commission shall inform the Government of the changes proposed and after taking into account the comments if any, of the Government may approve the list finally with such modification if any, as may in its opinion be just and proper.

(3) The list as finally approved by the commission shall form the select list for promotion of the members of the Madhya Pradesh Town and Country planning (Non-Gazetted) service and/or Madhya Pradesh Town and Country planning Gazetted (Class I and Class II) service, (as indicated in schedule IV).

(4) The select list shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 16, but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation :

Provided that, in the event of a grave lapse in the conduct of performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the commission may, if it thinks fit remove the name of such person from the select list.

19. *Appointment to the service from the select list.*—(1) Appointment of the officers included in the select list to posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the names of such officers appear in the select list :

Provided that, where administrative exigencies so require, a person whose name is not included in the select list or who is not next in order in select list may be appointed to the service if the Government is satisfied that the vacancy is not likely to least for more than three months.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the commission before appointment of a person, whose name is included in the select list, to the service, unless during the period intervening between the inclusion of his name in select list and the

date of the proposed appointment, there occurs any deterioration in his work, which in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

20. *Probation.*—Every person recruited directly to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

21. *Interpretation.*—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to Government whose decision thereon shall be final.

22. *Relaxation.*—Nothing in these rules shall be construed to limit or a bridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to him to be just and equitable :

Provided that the case shall not be dealt within any manner less favourable to him than that provided in these rules.

23. *Repeal and savings.*—All rules corresponding to these rules and inforce immediately before the Commencement of these rules, are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,
M. N. BUCH. Secy.

SCHEDULE—I

(Vide Rule 5)

S. No.	Name of posts included in the service	Number of post	Classification	Scale of pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I-Duty post				
1	Director	1	M. P. Town & Country Planning Gazetted (Class I) service	(*i*) Cadre Pay (if held by an officer of I. A. S. cadre) (*ii*) Rs. 1500—75—1800—100-2000-plus Rs. 250-S. P. (if held by a Technical Officer)
2.	Additional Director	1	do.	Rs. 1500—75—1800—100—2000
3.	Joint Director	7	do.	Rs. 1100—50—1500
4.	Joint Director (Project)	1	do.	Rs. 1100—50—1500
5.	Deputy Director (Planning)	5	do.	Rs. 680—40—800—50—1000—50—1150
6.	Deputy Director (Survey)	1	do.	Rs. 680—40—800—50—1000—50—1150
7.	Deputy Director (Research)	2	do.	Rs. 680—40—800—50—1000—50—1150
8.	Deputy Director (Project)	1	do.	Rs. 680—40—800—50—1000—50—1150
9.	Assistant Director (planning)	16	do Class II service	Rs. 425—25—500—30—680—EB—40—800—50—900
10.	Assistant Director (Survey)	4	do.	Rs. 425—25—500—30—680—EB—40—800—50—900
11.	Assistant Director (Research)	4	do.	Rs. 425—25—500—30—680—EB—40—800—50—900
12.	Assistant Director (Project)	4	do.	Rs. 425—25—500—30—680—EB—40—800—50—900

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13.	Assistant Director (Estt.) ..	1	Madhya Pradesh Town & country planing Gazetted (Class II) Service	Rs. 425—25—500—30—680—EB—40—800—50—900.

II. Reserve for deputation from other departments.—

14.	Joint Director (Administration) ..	1	Class I service	Cadre pay plus 150 S. P.
15.	Sub-Divisional Officer (Dy. Coll.)	1	Class II service	Rs. 425—25—500—30—680—EB—40—800—50—1050+SP —100 P.M
16.	Assistant Director (Horticulture) ..	1	Do.	Rs. 425—25—500—30—680—EB—40—800—50—900.

Schedule II

(*Vide* **Rule 6**)

Name of Deptt.	Name of service	Designation of post	Total number of posts	percentage of the duty posts to be		number of filled in	Remarks
				By Direct recruitment *vide* rule 6 (a)	By promotion of members of the service *vide* rule 6 (b)	By transfer of persons from other services *vide* rule 6 (c)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Housing & Environment Department.	M. P. Towrand Country Planning Gazetted (Class I) service.	(1) Director	1	..	..	..	
		(2) Additional Director ..	1	..	100%	..	..
		(3) Joint Director ..	7	..	100%	..	..
		(4) Joint Director (Project)	1	..	100%	..	..
		(5) Deputy Director (Planning)	5	..	100%	..	..
		(6) Deputy Director (Survey)	1	..	100%	..	..
		(7) Deputy Director (Research)	2	..	100%	..	..
		(8) Deputy Director (Project)	1	..	100%	..	..
	Class II service	(9) Asstt. Director (Planning)	16	50%	50%	..	..
		(10) Asstt. Director (Survey)	4	50%	50%	..	..
		(11) Asstt. Director (Research)	4	50%	50%	..	..
		(12) Asstt. Director (Project) ..	4	50%	50%	..	..

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(13) Asstt. Director (Estt.)	1 ..	100% ..
	Class I Service	(14) Joint Director (Administration) ..	1 ..	.. By deputation
	Class II service	(15) Sub-Divisional Officer	1 ..	.. By deputation
	Class II Service	(16) Asstt. Director (Horticulture)	1 ..	.. By deputation

Schedule III

(Vide Rule 8)

Name of Deptt.	Name of service	Name of posts in the service	Minimum age Limit	Upper age Limit	Edcational qualification prescribed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Housing & Environment Department	M. P. Town & Country Planning Gazetted (Class II) service	1. Asstt. Director (Planning)	21 years	28 years	A degree or equivalent Diploma in Town Planning/Regional Planning/Traffic and Transportation land scape/ Architecture/ Urban design & Housing from a recognised University or Institute. OR Town Planning examination conducted by the Institute of Town planners (India) for Associate membership of the Institute.
		2. Asstt. Director (Survery)	21 years	28 years	A degree or equivalent Diploma in Civil Engineering from a recognised University or Institute.
		3. Asstt. Director (Research)	21 years	28 years	A 2nd Class Master's degree in Economics/ Geography/ Statistics/ Mathematics/ Commerce/Social Science from a recognised University. Preference will be given to those who have atleast two years experience in statistical or/ and Town Planning work.
		4. Asstt. Director (Project)	21 years	28 years	A degree or equivalent Diploma in Civil Engineering from a recognised University or Institute. OR Section A & B of the Associate membership of the Institute of Engineers (India).

Schedule IV (See rule 14

Name of Deptt.	Name of service	Name of post from which promotion is to be made	Experience and the qualification required for Departmental promotion: Experience	Qualification	Name of post to which promotion is to be made	Name of members of the Departmental promotion committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Class I	Class I			Class I	
Housing & Environment Department.	. P. T. &P. Gazetted Class I & II) service.	(1) Joint Director. (2) Joint Director (Project).	7 years continuous service as Joint Director.	A post graduate degree or post graduate diploma in Town Planning/ Regional Planning/Traffic & Transportation/ Land scape/Architecture/Urban Design & Housing or Fellowship of the Institute of Town Planners (India).	Additional Director.	1. Chairman P. S. C. or his nominee—**Chairman.** 2. Secretary/ Special Secretary to Govt. H. & En. Deptt. **Member.** 3. Commissioner Director/ Addl. Director T. & P.—**Member.**
		(3) Deputy Director (Planning).	5 years continuous service as Deputy Director.	A degree or diploma in Town Planning/ Regional Planning/ Traffic and Transporation/ Land scape/Architecture/Urban Design & Housing or fellowship of the Instt. of Town Planners (India).	Joint Director (including Joint Director (Project).	
		(4) Deputy Director (Survey).	5 years continuous service as Deputy Director.	A degree or equivalent diploma in Civil Engineering OR Passing of final examination conducted by the Institute of Surveyors (India) and A degree or Diploma in Town Planning/ Regional planning Traffic & Transportation/Land scape/Architecture/Urban Design & Housing.	Joint Director (including Joint Dire ctor Project).	
		(5) Deputy Director (Research).	Do.	A Master's degree in Economics/ Geography/ Statistics/ Mathematics/Commerce or Social Science.	Joint Director (including Joint Director Project).	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			And A degree or diploma in Town Planning/ Regional Planning/ Traffic & Transportation/Landscape/Architecture/Urban Design and Housing.			
	(6) Deputy Director (Project).	5 years continuous service as Deputy Director.	A degree or diploma in Civil Engineering OR Section A & B of the Associate Membership of the Institute of Engineers (India). & A degree or diploma in Town Planning/ Regional Planning/Traffic and Transporation/ Land Scape/Architecture/Urban Design & Housing.	Joint Director (including Joint Director Project.)		
Class II					Class I	
	(7) Asstt. Director (Planning).	5 years continuous service as Asstt. Director.	Nil.		Deputy Director (Planning).	
	(8) Asstt. Director (Survey)	Do.	Do.		Deputy Director (Survey).	
	(9) Asstt. Director (Research).	Do.	Do.		Deputy Director (Research).	
	(10) Asstt. Director (Project).	Do.	Do.		Deputy Director (Project).	
Class III Non-Gazetted					**Class II**	
	(11) Senior Planning Assistant.	5 years service as SPA failing that total service of 6 years.	Do.		Assistant Director (Planning).	
	(12) Senior Engineering Assistant.	5 years service as SEA (SPA) failing that total service of 6 years.	Nil.		Assistant Director (Project)/ Assistant Director (Survey).	
	(13) Senior Research Assistant.	5 years service as SRA (SPA) failing that total service of 6 years.	Do.		Assistant Director (Research).	
	(14) Superintendent.	4 years service as Superintendent failing that total service of 10 years.	Accounts training pass.		Assistant Director (Estt.).	